न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली
पीठासीन अधिकारीः— श्री गोपाल जांगिड़ (आर.ए.एस.)

राजस्व विविध प्रार्थना—पत्र संख्या :— 26/2022

प्रार्थीः—	बनाम	अप्रार्थीः—
1. नेमाराम पुत्र सीमाराम जाति माली निवासी सोजतसिटी तह0 सोजत जिला पाली राज0।		1. सरकार जरिये तहसीलदार (भूमि—धारक) सोजत, तहसील सोजत, जिला—पाली।

राजस्व प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू—राजस्व अधिनियम 1956

उपस्थितिः—

1. श्री महेन्द्र चौधरी एवं भरतनाथ अधिवक्तागण प्रार्थी उपस्थित।
2. अप्रार्थी तहसीलदार सोजत उपस्थित।

—: निर्णय :— दिनांक — 11.04.2022

अधिवक्ता मय प्रार्थी ने एक विविध प्रार्थना—पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के तहत विरूद्ध अप्रार्थी के इस आशय से प्रस्तुत कर निवेदन किया कि सरहद मौजा सोजत चक—2 में खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा नम्बर 3151 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2200 हैक्टर कृषि भूमि प्रार्थी व अन्य सह खातेदारान की स्थित है। उक्त कृषि भूमि का राजस्व रेकर्ड खसरा मिलान के अनुसार गत खसरा संख्या 759/2 से नये खसरा नम्बर 3150 एवं 3151 बने है। खसरा मिलान के अनुसार उक्त कृषि भूमि के खातेदार कन्ना वल्द छगना 1/2 एवं नेमाराम, प्रेमाराम पिसरान सीमारा 1/2 के नाम दर्ज सुदा है। उक्त कृषि भूमि का पर्चा मिलान में भी प्रार्थी का नाम नेमाराम पुत्र सीमाराम के नाम से दर्ज सुदा है, जो सही है। सैटलमेन्ट के बाद बनी प्रथम जमाबंदी सम्वत 2042 से 2045 में प्रार्थी का नाम सहवन से एवं त्रुटिवंश व नेमाराम के स्थान पर नेनाराम दर्ज हो गया, जो गलत दर्ज हुआ है, जबकि प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम नेमाराम ही है। प्रार्थी को नेमाराम के नाम से ही जाना एवं पहचाना जाता है। राजस्व रेकर्ड जमाबंदी सम्वत 2046 से 2049 में नेनाराम नाम दर्ज हो जाने से उसके बाद बनी चौसाला जमाबंदी में प्रार्थी का नाम नेनाराम के नाम से दर्ज चला आ रहा है। जो गलत दर्ज है। उक्त नाम गलत दर्ज हो जाने से राज्य सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधा से प्रार्थी को वंचित होना पड़ रहा है। ऐसी स्थिति में राजस्व रेकर्ड जमाबंदी में नेनाराम पुत्र सीमाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र सीमाराम के नाम से शुद्धि किया जाकर रेकर्ड दुरूस्त किया जाना कानूनन आवश्यक एवं न्याय संगत है। वादस्त कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक—2 में स्थित है होने से न्यायालय हाजा के क्षेत्राधिकार का है। अधिवक्तागण मय प्रार्थी ने उपरोक्त कृषि भूमि में प्रार्थी का नाम नेनाराम पुत्र सीमाराम के स्थान पर नेमाराम पुत्र सीमाराम के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है।

इस पर राजस्व प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत को जरिए नोटिसेज वास्ते जबाब प्रा0 पत्र तलब किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार, सोजत ने जबाब प्रा0 पत्र पेश कर प्रार्थी स्वयं सिद्ध कर अन्य पैराज कानूनी होना बताया है।

बहस अधिवक्तागण प्रार्थी एवं अप्रार्थी तहसीलदार सोजत सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्तागण प्रार्थी ने प्रा0 पत्र में वर्णित कृषि भूमि सरहद मौजा सोजत चक–2 खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा नम्बर 3151 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म मेहंदी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नेनाराम पुत्र सीमाराम के स्थान पर सही व वास्तविक रूप से नेमाराम पुत्र सीमाराम दर्ज किये जाने की ईश्तदुआ की है। जिस पर उपस्थित तहसीलदार/लैण्ड होल्डर/सोजत को कोई आपति नही होना बहस के दौरान व्यक्त किया है।

पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया। प्रस्तुत प्रा0 पत्र मय शपथ–पत्र एवं दस्तावेजात, जबाब प्रा0 पत्र साक्ष्य सबूतों दस्तावेजात तथा उक्त विवादित भूमि से सम्बद्ध प्रा0 पत्र में वर्णित उक्त तथ्यों की ताईद में प्रस्तुत दस्तावेजात का गहनतापूर्वक अध्ययन कर बहस अधिवक्ता प्रार्थी व तहसीलदार सोजत पर पर गौर कर मनन किया गया। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य यथा आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, पर्चा लगान भू0प्रबन्धन विभाग में प्रार्थी का नाम नेमाराम दर्ज सुदा है किन्तु अन्य दस्तावेजी साक्ष्य सबुतो प्रार्थी का का नाम नेनाराम गलत रूप से दर्ज कर दिया गया जो वर्तमान राजस्व रेकर्ड में यथावत है। वस्तुतः प्रस्तुत प्रा0 पत्र धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाना तथा उक्त विवादित सरहद मौजा सोजत चक–2 खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा नम्बर 3151 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म मेहंदी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नेनाराम पुत्र सीमाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से नेमाराम पुत्र सीमाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिया जाना उचित समझते है।

–ःआदेशः–

अतः अधिवक्तागण मय प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रा0 पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 का स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है। सरहद मौजा सोजत चक–2 खसरा नम्बर 3150 रकबा 0.5300 हैक्टर व खसरा नम्बर 3151 रकबा 0.6900 हैक्टर कुल खसरा 02 कुल रकबा 1.2200 हैक्टर किस्म मेहंदी के वर्तमान राजस्व रेकर्ड में गलत रूप से दर्ज नेनाराम पुत्र सीमाराम के स्थान पर सही व वास्तविक नाम की संपुष्टि हो जाने से नेमाराम पुत्र सीमाराम दुरूस्त प्रविष्टि दर्ज किये जाने के तहसीलदार, सोजत को आदेश दिये जाते है। तहसीलदार सोजत को निर्णय की छायाप्रति तहरीर के साथ भेजकर पालना मंगवाई जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। बाद तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर/लेख्य भण्डार जमा हो।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत

निर्णय आज दिनांक 11.04.2022 को सरे ईजलास मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(गोपाल जांगिड़)
उपखण्ड अधिकारी, सोजत